(1)

कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 – 2201507

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

प्रेषक,

कुलसचिव
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

पत्रांक 4759 /सम्बद्धता/2011 दिनांक 23/08/2011

सेवा में,

प्रबन्धक,
राजा देवी महिला महाविद्यालय
सल्लहपुर, भटनी, देवरिया।

विषय–राजा देवी महिला महाविद्यालय, सल्लहपुर, भटनी, देवरिया को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास एवं गृहविज्ञान विषयों में सम्बद्धता (स्थायी) एवं कक्षा संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–शासन के पत्र संख्याः सम्ब0 392/सत्तर–6– 2011–2(217)/2011 दिनांकः 28 जुलाई, 2011 द्वारा **राजा देवी महिला महाविद्यालय, सल्लहपुर, भटनी, देवरिया को स्नातक स्तर पर** कला संकाय के अन्तर्गत **हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास एवं गृहविज्ञान विषयों** में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2010–11 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01.07.2011 से शैक्षणिक सत्र 2011–12 हेतु शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है।

उक्त पत्र में अंकित शर्त संख्या–1 के अनुपालन में महाविद्यालय ने सत्र 2010–11 का परीक्षाफल प्रस्तुत किया है, परीक्षाफल 60 प्रतिशत से अधिक है, जो परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रमाणित है।

उपरोक्त शासन के पत्र में अंकित शर्त संख्या–1 में निर्दिष्ट आदेश के अनुपालन में **राजा देवी महिला महाविद्यालय, सल्लहपुर, भटनी, देवरिया को स्नातक** स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत **हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास एवं गृहविज्ञान विषयों** में माननीय कुलपति ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय एवं संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन दिनांक 01.07.2011 से शासन के पत्र संख्या– सम्ब0 392/सत्तर–6– 2011–2(217)/2011 दिनांकः 28 जुलाई, 2011 में निहित निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता (स्थायी) एवं कक्षा संचालन की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :–

1. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,
कुलसचिव,
23/8/11

पृष्ठांकन संख्या................../तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अनुसचिव, (उच्च शिक्षा) उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
4. अधिष्ठाता कला संकाय, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर।
5. सहायक कुलसचिव परीक्षा सामान्य, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर।

कुलसचिव

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर – 273009

पत्रांक : सम्बद्धता / 2017 / 1065 दिनांक 27/04/2017

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य

राजा देवी महिला पी0जी0 कालेज, सल्लहपुर, भटनी, देवरिया।

विषय : स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत ललित कला एवं संगीत, भूगोल एवं प्राचीन इतिहास विषयों तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या **दीदउगोविवि / सम्बद्धता / 2015 / 335** दिनांक 30.05.2015 द्वारा राजा देवी महिला पी0जी0 कालेज, सल्लहपुर, भटनी, देवरिया को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत ललित कला एवं संगीत, भूगोल एवं प्राचीन इतिहास अतिरिक्त विषयों तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम में कतिपय शर्तों के अधीन स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत महाविद्यालय को दिनांक 01.07.2016 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता प्रदान की गयी थी।

महाविद्यालय ने परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र के अनुसार संदर्भित पाठ्यक्रम का शैक्षिक सत्र 2015–16 का परीक्षाफल 60 प्रतिशत से अधिक है तथा महाविद्यालय नकल में आरोपित नहीं है। शैक्षिक सत्र 2016–17 का परीक्षाफल व नकलविहीन प्रमाण पत्र वांछित है।

निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं संस्तुति के आधार पर सम्बद्धता समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि राजा देवी महिला पी0जी0 कालेज, सल्लहपुर, भटनी, देवरिया को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत ललित कला एवं संगीत, भूगोल एवं प्राचीन इतिहास अतिरिक्त विषयों तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम में सम्बद्धता **शैक्षिक सत्र 2017–18 हेतु तथा उपर्युक्त / अन्य कमियों को पूर्ण करने के शर्तो के अधीन दिनांक 01.07.2017 से** स्थाई सम्बद्धता प्रदान किये जाने की संस्तुति की जाती है। निरीक्षण मण्डल की आख्या के साथ महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्रजातों में यदि किसी प्रकार की भिन्नता / त्रुटि पाई जाती है, तो जारी की गयी सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में राजा देवी महिला पी0जी0 कालेज, सल्लहपुर, भटनी, देवरिया को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत ललित कला एवं संगीत, भूगोल एवं प्राचीन इतिहास अतिरिक्त विषयों तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम में माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय एवं संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन **विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल 60 प्रतिशत से अधिक होने एवं नकलविहीन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने** के दृष्टिगत **दिनांक 01.07.2016 से स्थाई सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है :–**

1. **महाविद्यालय, सम्बद्धता समिति द्वारा इंगित कमियों को पूर्ण करने के उपरान्त ही विश्वविद्यालय से कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करेगा। कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करेगा। अन्यथा की स्थिति में लिया गया छात्रों का प्रवेश अवैध माना जायेगा।**
2. **महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य / प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108 / सत्तर– 2–2007–2(494) / 2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112 / सत्तर–2–2008– 2(494) / 2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. रिट याचिका संख्या 61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. कतिपय संस्थानों / महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तो को निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
7. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानको को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
8. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
9. संस्था शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
11. संस्था परिसर को रैंगिग मुक्त रखेगी।
12. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम / परिनियम / अध्यादेश / शासनादेशों में दी गई व्यवस्था / निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनश्चित करेगी।
13. **महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।**
14. **महाविद्यालय एन0सी0टी0ई0 द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेगा अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।**
15. **महाविद्यालय द्वारा ए0आई0एस0एच0ई0 2016–17 का फार्म पूरित कर दिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता वापस लेने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।**

भवदीय,

कुलसचिव

पृष्ठाकंन संख्याः दीदउगोविवि / सम्बद्धता / 2017 / .....तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद / क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय / परीक्षा नियंत्रक / उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, दी0द0उ0 गो0वि0वि0, गोरखपुर।
4. उपकुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें / कुलसचिव कार्यालय।
5. सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. गार्ड फाईल (सम्बद्धता)।

कुलसचिव

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर – 273009

पत्रांक : सम्बद्धता/2017/1090 दिनांक 30/05/2017

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य

राजा देवी महिला पी0जी0 कालेज, सल्लहपुर, भठ्नी, देवरिया

विषय : स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत गणित, भौतिक, रसायन, वनस्पति एवं प्राणि विज्ञान विषयों हेतु स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन समिति नें महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत कागजातों, सम्बद्धता से सम्बन्धित अभिलेखों एवं शासनादेशों के अनुसार परीक्षण किया गया। परीक्षणोंपरान्त समिति ने निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं संस्तुति के आधार पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि राजा देवी महिला पी0जी0 कालेज, सल्लहपुर, भठ्नी, देवरिया में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत गणित, भौतिक, रसायन, वनस्पति एवं प्राणि विज्ञान विषयों की सम्बद्धता उपर्युक्त कमियों एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये अनापत्ति आदेश में उल्लिखित कमियों/शर्तों का निराकरण/पूर्ति, महाविद्यालय द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर दिनांक 01.07.2017 से आगामी तीन वर्षों हेतु अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है, अन्यथा की स्थिति में जारी की गयी सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर राजा देवी महिला पी0जी0 कालेज, सल्लहपुर, भठ्नी, देवरिया को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत गणित, भौतिक, रसायन, वनस्पति एवं प्राणि विज्ञान विषयों हेतु स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है–

1. महाविद्यालय, सम्बद्धता समिति द्वारा इंगित कमियों यथा- प्राचार्य एवं वर्णित विषयों में प्रवक्ता अनुमोदित नहीं है। को पूर्ण करने के उपरान्त ही विश्वविद्यालय से कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करेगा। कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करेगा। अन्यथा की स्थिति में लिया गया छात्रों का प्रवेश अवैध माना जायेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108/सत्तर– 2–2007–2(494)/2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112/सत्तर–2–2008– 2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
7. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानको को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
8. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
9. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
11. संस्था परिसर को रैंगिग मुक्त रखेगी।
12. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनश्चित करेगी।
13. महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
14. महाविद्यालय द्वारा ए0आई0एस0एच0ई0 2016–17 का फार्म पूरित कर दिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता वापस लेने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

पृष्ठाकंन संख्याः दीदउगोविवि/सम्बद्धता/2017/.....तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय/परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, दी0द0उ0 गो0वि0वि0, गोरखपुर।
4. उपकुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें/कुलसचिव कार्यालय।
5. सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. गार्ड फाईल (सम्बद्धता)।

कुलसचिव

संख्या–सम्ब0 50/सत्तर–6–2011–2(16)/2010

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 06 जुलाई, 2011

विषयः– महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–4127/सम्बद्धता/2011, दिनांक 27.05.2011 एवं पत्रांक–4254/सम्बद्धता/2011, दिनांक 15.06.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन राजा देवी महिला महाविद्यालय, सल्लहपुर, भटनी, देवरिया को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2010–11 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01.07.2011 से शैक्षिक सत्र 2011–12 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी हैः–

1. शैक्षिक सत्र 2010–11 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने एवं सामूहिक नकल में आरोपित नहीं होने की स्थिति में सत्र 2011–12 के सम्बद्धता की सशर्त पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थाई) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2011 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता (स्थाई) आदेश निर्गत किए जाएंगे तथा एतद्विषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
2. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा– निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जाएगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन–पाठन कराया जाएगा।
4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या–सम्ब0 50(1)/सत्तर–6–2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. कुलसचिव, महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
4. क्षेत्रीय निदेशक,राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए–46, तिलकनगर, शांतिपथ, जयपुर।
5. प्रबन्धक, राजा देवी महिला महाविद्यालय, सल्लहपुर, भटनी, देवरिया।
6. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 – 2201507

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

कुलसचिव
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

पत्रांक 5377 / सम्बद्धता / 2011 दिनांक 23 / 12 / 2011

सेवा में,

प्रबन्धक,
राजा देवी महिला महाविद्यालय
सल्लहपुर, भटनी, देवरिया।

विषय– राजा देवी महिला महाविद्यालय, सल्लहपुर, भटनी, देवरिया को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में सम्बद्धता (स्थायी) एवं कक्षा संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या– सम्ब0 50 / सत्तर–6–2011–2(16) / 2010 दिनांक 06 जुलाई, 2011 द्वारा **राजा देवी महिला महाविद्यालय, सल्लहपुर, भटनी, देवरिया को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित** स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2010–11 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01.07.2011 से शैक्षिक सत्र 2011–12 हेतु शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है।

उक्त पत्र में अंकित शर्त संख्या–1 के अनुपालन में महाविद्यालय ने सत्र 2010–11 का परीक्षाफल प्रस्तुत किया है, परीक्षाफल 60 प्रतिशत से अधिक है, जो परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रमाणित है। संदर्भित महाविद्यालय परीक्षा सत्र 2010–11 की परीक्षा में नकल में आरोपित नहीं है।

उपरोक्त शासन के पत्र में अंकित शर्त संख्या–1 में निर्दिष्ट आदेश के अनुपालन में **राजा देवी महिला महाविद्यालय, सल्लहपुर, भटनी, देवरिया को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित** माननीय कुलपति ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय एवं संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन दिनांक 01.07.2011 से शासन के पत्र संख्या– सम्ब0 50 / सत्तर–6–2011–2(16) / 2010 दिनांक 06 जुलाई, 2011 में निहित निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता (स्थायी) एवं कक्षा संचालन की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :–

1. संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

कुलसचिव 22/12/11

23/12/11

23/12/11

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अनुसचिव, (उच्च शिक्षा) उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
4. अधिष्ठाता शिक्षा संकाय, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर।
5. सहायक कुलसचिव परीक्षा सामान्य, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर।
6. समन्वयक, वेबसाइट।

कुलसचिव

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर – 273009

पत्रांक : सम्बद्धता / 2017 / 1064 दिनांक 27/04/2017

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य

राजा देवी महिला पी0जी0 कालेज, सल्लहपुर, भटनी, देवरिया।

विषय : स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी एवं गृहविज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या **दीदउगोविवि / सम्बद्धता / 2015 / 335 दिनांक 30.05.2015** द्वारा राजा देवी महिला पी0जी0 कालेज, सल्लहपुर, भटनी, देवरिया को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी एवं गृहविज्ञान विषयों में कतिपय शर्तों के अधीन स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत महाविद्यालय को **दिनांक 01.07.2016 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता प्रदान की गयी थी।**

महाविद्यालय ने परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र के अनुसार संदर्भित पाठ्यक्रम का शैक्षिक सत्र 2015–16 का परीक्षाफल 60 प्रतिशत से अधिक है तथा महाविद्यालय नकल में आरोपित नहीं है। शैक्षिक सत्र 2016–17 का परीक्षाफल व नकलविहीन प्रमाण पत्र वांछित है।

निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं संस्तुति के आधार पर सम्बद्धता समिति द्वारा **निर्णय लिया गया कि राजा देवी महिला पी0जी0 कालेज, सल्लहपुर, भटनी, देवरिया को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी एवं गृहविज्ञान विषयों में** सम्बद्धता **शैक्षिक सत्र 2017–18 हेतु तथा उपर्युक्त / अन्य कमियों को पूर्ण करने के शर्तो के अधीन दिनांक 01.07.2017 से** स्थाई सम्बद्धता **प्रदान किये जाने की संस्तुति की जाती है। निरीक्षण मण्डल की आख्या के साथ महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्रजातों में यदि किसी प्रकार की भिन्नता / त्रुटि पाई जाती है, तो जारी की गयी सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।**

सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में राजा देवी महिला पी0जी0 कालेज, सल्लहपुर, भटनी, देवरिया को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी एवं गृहविज्ञान विषयों में माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय एवं संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन **विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल 60 प्रतिशत से अधिक होने एवं नकलविहीन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के दृष्टिगत दिनांक 01.07.2016 से स्थाई सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है :–**

1. **महाविद्यालय, सम्बद्धता समिति द्वारा इंगित कमियों को पूर्ण करने के उपरान्त ही विश्वविद्यालय से कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करेगा। कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करेगा। अन्यथा की स्थिति में लिया गया छात्रों का प्रवेश अवैध माना जायेगा।**
2. **महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य / प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108 / सत्तर– 2–2007–2(494) / 2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112 / सत्तर–2–2008– 2(494) / 2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. रिट याचिका संख्या 61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. कतिपय संस्थानों / महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
7. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानको को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
8. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
9. संस्था शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
11. संस्था परिसर को रैंगिग मुक्त रखेगी।
12. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम / परिनियम / अध्यादेश / शासनादेशों में दी गई व्यवस्था / निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनश्चित करेगी।
13. **महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।**
14. **महाविद्यालय एन0सी0टी0ई0 द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेगा अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।**
15. **महाविद्यालय द्वारा ए0आई0एस0एच0ई0 2016–17 का फार्म पूरित कर दिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता वापस लेने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।**

भवदीय,

कुलसचिव

पृष्ठाकंन संख्याः दीदउगोविवि / सम्बद्धता / 2017 / .....तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद / क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय / परीक्षा नियंत्रक / उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, दी0द0उ0 गो0वि0वि0, गोरखपुर।
4. उपकुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें / कुलसचिव कार्यालय।
5. सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. गार्ड फाईल (सम्बद्धता)।

कुलसचिव

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर–273009

पत्रांकः दीदउ गोविवि/सम्बद्धता/2017/(203) 1264 दिनांक : 30/05/2017

प्रेषक,

कुलसचिव, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य
राजा देवी महिला महाविद्यालय, सल्लहपुर भटनी, देवरिया

विषय– राजा देवी महिला महाविद्यालय, सल्लहपुर भटनी, देवरिया को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र विषय में सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय कार्य परिषद के स्वीकृति की प्रत्याशा में सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 22.04.2017 में लिए गए निर्णय कि, जिन महाविद्यालयों में मानकानुसार स्थायी प्राचार्य का अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा न होने एवं लगातार तीन वर्षों में संस्थागत छात्रों का प्रस्तावित पाठ्यक्रम में 60 प्रतिशत से कम परीक्षाफल होने तथा नकल में आरोपित होने के कारण संदर्भित महाविद्यालय को यावित विषयों/पाठ्यक्रमों में छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए मात्र एक वर्ष सत्र 2017–18 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन **राजा देवी महिला महाविद्यालय, सल्लहपुर भटनी, देवरिया को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र विषय में सम्बद्धता दिनांक 01.07.2017 से आगामी एक वर्ष हेतु स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है–**

1. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में लिया गया छात्रों का प्रवेश अवैध माना जायेगा।
2. **अनुमोदित प्राचार्य/प्रवक्ताओं का कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108/सत्तर– 2–2007–2(494)/2007 दिनांक 17. 10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112/सत्तर–2–2008– 2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
7. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
8. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
9. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
11. संस्था परिसर को रैंगिंग मुक्त रखेगी।
12. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनश्चित करेगी।
13. **महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।**
14. **महाविद्यालय द्वारा ए0आई0एस0एच0ई0 2017–18 का फार्म पूरित कर दिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता वापस लेने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।**

भवदीय,

कुलसचिव

पृष्ठाकंन संख्याः दीदउगोविवि/सम्बद्धता/2017 /.....तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. अधिष्ठाता, कला/वाणिज्य संकाय/परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, दी0द0उ0 गो0वि0वि0, गोरखपुर।
4. उपकुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें/कुलसचिव कार्यालय।
5. सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. गार्ड फाईल (सम्बद्धता)।

कुलसचिव